

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/128
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00119
CICOM/R/2018/00296

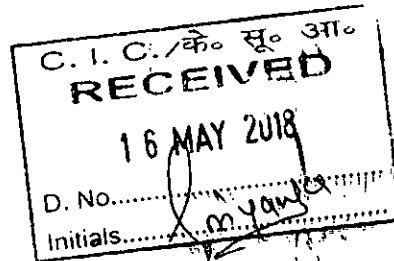
दिनांक: 15.05.2018

अपीलकर्ता : श्री अनिल कुमार शर्मा,
पुत्र - श्री रामकिशन शर्मा,
मौ० - सोसायटी धनौरा,
जिला - अमरोहा + 244 221

निर्णय की तारीख: 15.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	213/10.05.2018 (129358/09.05.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश CIC/NRAIL/A/2017/149203 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकार एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 16.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकार एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा दिनांक 18.04.2018 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि यदि संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी द्वारा उक्त द्वितीय अपील आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है तो द्वितीय अपील आदेश सं. का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग में नॉन-कम्प्लायंस आवेदन दाखिल कर सकते हैं, ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

16/05/18

रिक्त
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290